भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 561
दिनांक 04.02.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

रसायन उद्योग को वित्तीय सहायता

561: श्री शंकर लालवानी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मध्य प्रदेश सहित रासायनिक उद्योग की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी इकाइयां पंजीकृत हैं;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए;
(ग) क्या सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए रसायन उद्योग को और वहां काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को राहत प्रदान करने के लिए कोई वित्तीय सहायता तथा अन्य रियायतें प्रदान की हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क): खतरनाक रसायनों को छोड़कर, रसायन क्षेत्र को लाइसेंस-रहित और विनियमन-रहित किया गया है। हालाँकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक रसायनों के हैंडलिंग और निर्माण में शामिल विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में रासायनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात (एमएसआईएचसी) नियम, 1989 और रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम, 1996 को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षक बड़ी दुर्घटना की जोखिम (एमएएच) वाली इकाइयों (एमएसआईएचसी नियम, 1989 के तहत परिभाषित) पर जानकारी संकलित करते हैं। मई-2021 तक एमएएच वाली इकाइयों की राज्यवार जानकारी अनुबंध-I में दी गई है।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में 1189 रासायनिक उद्योग (अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियां) हैं, जिनमें कीटनाशक (82), तेल और रिफाइनरी (23), डाई (124), उर्वरक (117), फार्मास्यूटिकल्स (774), क्लोर-क्षार (33) और पेट्रोरसायन (36) शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कुल 25 रासायनिक उद्योग हैं, जिनमें तेल और रिफाइनरी (1), डाई (1), उर्वरक (8), फार्मास्यूटिकल्स (12), क्लोर-क्षार (2) और पेट्रोरसायन (1) शामिल हैं। अत्यधिक प्रदूषणकारी रासायनिक उद्योगों की राज्यवार सूची अनुबंध-II में दी गई है।

(ख) से (घ): यह विभाग प्लास्टिक पार्कों को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और क्लस्टर विकास दृष्टिकोण के माध्यम से सामान्य सुविधाओं को सुगम बनाना है, ताकि घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित किया जा सके। इस योजना का बड़ा उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। इस योजना के तहत, भारत सरकार परियोजना लागत के 50% तक अनुदान राशि प्रदान करती है, जो प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है।

अनुबंध- I

बड़ी दुर्घटना की जोखिम (एमएएच) वाली इकाइयों की सूची

		मई, 2021 तक
क्र. सं.	**राज्य**	**एमएएच इकाइयों की संख्या**
1.	अंडमान एवं निकोबार (2021)	2
2.	आंध्र प्रदेश (2020)	79
3.	अरुणाचल प्रदेश (2021)	1
4.	असम (2021)	27
5.	बिहार (2021)	30
6.	चंडीगढ़ (2020)	-
7.	छत्तीसगढ़ (2019)	16
8.	दमन और दीव (2017)	-
9.	दादरा और नगर हवेली (2017)	-
10.	दिल्ली (2021)	16
11.	गोवा (2021)	13
12.	गुजरात (2020)	545
13.	हरियाणा (2017)	60
14.	हिमाचल प्रदेश (2020)	8
15.	जम्मू और कश्मीर (2021)	1 1
16.	झारखंड (2018)	18
17.	कर्नाटक (2019)	81
18.	केरल (2021)	40
19.	लक्षद्वीप (2017)	-
20.	मध्य प्रदेश (2021)	92
21.	महाराष्ट्र (2021)	339
22.	मणिपुर (2021)	2
23.	मेघालय (2020)	-
24.	मिजोरम (2017)	-
25.	नागालैंड (2018)	2
26.	ओडिशा (2019)	35
27.	पुदुचेरी (2018)	3
28.	पंजाब (2018)	59
29.	राजस्थान (2018)	106
30.	सिक्किम (2010)	-
31.	तमिलनाडु (2014)	126
32.	तेलंगाना (2021)	74
33.	त्रिपुरा (2021)	3
34.	उत्तर प्रदेश (2021)	163
35.	उत्तराखंड (2019)	39
36.	पश्चिम बंगाल (2017)	102
	कुल	**2092**

अनुबंध- II

अत्यधिक प्रदूषणकारी-रासायनिक उद्योगों की 17 श्रेणियों की सूची

क्र. सं.	राज्य और केंद्र शासित प्रदेश	रासायनिक उद्योगों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	159
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	9
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ	2
6.	गोवा	3
7.	गुजरात	192
8.	हरियाणा	36
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	जम्मू और कश्मीर	7
11.	झारखंड	3
12.	कर्नाटक	92
13.	केरल	8
14.	मध्य प्रदेश	25
15.	महाराष्ट्र	186
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	0
18.	मिजोरम	0
19.	नगालैंड	0
20.	ओडिशा	10
21.	पंजाब	26
22.	राजस्थान	48
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	46
25.	तेलंगाना	274
26.	त्रिपुरा	0
27.	उत्तर प्रदेश	33
28.	उत्तराखंड	2
29.	पश्चिम बंगाल	17
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
31.	चंडीगढ़	0
32.	दमन, दीव और दादरा नगर हवेली	1
33.	दिल्ली	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	3
	कुल	**1189**

*****